कार्यालय कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग कमांक–3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)

कमांक/ 1471 / बहुती/ 20-17-18 देवलोंद, दिनांक 06/06/17

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सीधी वन मण्डल
जिला–सीधी म0प्र0

विषय– सीधी जिले के अंतर्गत बहुती नहर योजना निर्माण हेतु 6.728 है0 आराजी वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्

सन्दर्भ– 1. आपका पत्र कमांक /मा0चि/4335/ सीधी दिनांक 19.5.2017
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1464/भू–अर्जन/तक/2017–18/ देवलोंद दिनांक 3.6.2017

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कमांक–2 के अनुकम में बिन्दुवार विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है–

1/ प्रस्ताव से संबंधित कलेक्टर सीधी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी हार्डकापी संलग्न है ।

2/ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की सीमा के पास कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ कारीडोर न होने से वाइल्ड लाइफ वार्डन के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

3/ वेब पोर्टल पर Geo referenced map में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के बाउण्ड्री के Co-ordinate अपलोड कर दिये गये हैं । हार्ड कापी संलग्न है ।

4/ संशोधित kml file of CA area एवं टोपोशीट पर co-ordinate के साथ CA area दर्शित कर वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है जिसकी हार्ड कापी संलग्न है ।

5/ ए– योजना के मूल प्रस्ताव के अनुसार बहुती सुरंग का निर्माण ग्राम हिनौती जिला सतना के पास किया जाना था जिसमें सुरंग की लम्बाई 5.40 कि0मी0 थी । इस प्रस्ताव के अनुसार सुरंग का निकास रीवा जिले के ग्राम बांसा (गोविन्दगढ़ फारेस्ट) में होता है । जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम स्टेज की स्वीकृति 38.921 है0 की प्रदान की गई है जिसमें रीवा जिले की 33.912 है0 एवं सतना जिले की 5.009 है0 वनभूमि सम्मिलित है । सुरंग का निर्माण अंतिम छोर से प्रारंभ कर लगभग 1400 मीटर खुदाई की जा चुकी है । प्रारंभिक भाग (inlet) में खुदाई करने पर पाया गया कि टनल निर्माण हेतु उचित स्ट्राटा न होकर loose collapsible मिट्टी है जिसमें निर्माण में कठिनाई एवं दुर्घटना होने की संभावना रहती है । इस कारण सुरंग के पूर्व के एलाइनमेण्ट में परिवर्तन करते हुए सतना जिले की 5.009 है0 भूमि को छोड़ते हुए सीधी जिले की 6.728 है0 वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता हुई । किन्तु कुल वनभूमि स्टेज–1 में प्राप्त स्वीकृति 38.921 है0 की सीमा के अंदर है । सीधी जिले की प्रस्तावित वन भूमि में हुए प्लान्टेशन से उपर जाने पर पहाड़ के कारण अत्यधिक खुदाई करनी पड़ेगी । इसी प्रकार पूर्वी भाग में जाने पर सीमेण्ट का बड़ा कारखाना स्थित है । ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है ।

– कृ.प.उ.

बी– प्रभावित प्लाण्टेशन में 5.801 है. वन क्षेत्रफल है जिसमें नहर की लम्बाई 990.00 मीटर एवं चौड़ाई 58.6 मीटर है। इस प्रकार प्लाण्टेशन में नहर का क्षेत्रफल 5.801 है. है। चूंकि प्रस्तावित नहर के दांये तरफ सड़क है। अतः कम से कम प्लाण्टेशन का क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है।

सी– नहर को बांये तरफ ले जाने पर पहाड़ है जिसमें अत्यधिक खुदाई करनी पड़ेगी एवं दांयी ओर सीमेंण्ट फैक्टरी पूर्व से स्थापित है एवं दांयी और सड़क भी निर्मित है। अतः प्रस्तावित एलाइनमेंण्ट में परिवर्तन संभावति नहीं है।

6 / 5 (सी) में दिये गये तथ्यों के आधार पर तकनीकी रूप से साध्य न होने के कारण वैकल्पिक एलाइनमेंण्ट की संभावना नहीं है। अतः तुलनात्मक सारिणी की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व स्वीकृत प्रकरण में मात्र टनल के कारण 990 मीटर का भाग ही परिवर्तित हो रहा है। शेष यथावत होने से प्रस्तावित एलाइनमेंण्ट का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(आर.एम. द्विवेदी)
कार्यपालन यंत्री
बाणसागर पक्का बॉध संभाग कं. 3
पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म.प्र.)

पृ.कं. / कार्य / बाणसागर दिनांक / /17

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा
2 अधीक्षण यंत्री बाणसागर पक्का बॉध मण्डल देवलोंद जिला शहडोल

की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(आर.एम. द्विवेदी)
कार्यपालन यंत्री
बाणसागर पक्का बॉध संभाग कं. 3
पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म.प्र.)